पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17784

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1706

==========

कुमोद कुमारी उर्फ कुमुद कुमारी, पत्नी-श्री बिनोद कुमार, ग्राम बलाहा, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढी

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

1. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, एकीकृत बाल विकास योजना, कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. कलेक्टर, सीतामढ़ी।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, सीतामढ़ी।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।
7. मुखिया, ग्राम पंचायत राज बिशुनपुर डेमा, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।
8. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत बिशुनपुर डेमा, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।
9. आशा कुमारी पत्नी श्री राजीव रमन सिंह गांव के निवासी-बलाहा, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

==========

ए. आम सभा का गठन-नियम 5 (क) का पूरा मंच जिसका पालन नहीं किया गया-नियोक्ता प्राधिकरण नियम 5 (क) का पालन करने में विफल रहा-चयनित उम्मीदवार की ओर से कोई गलती नहीं-संबंधित उम्मीदवार को विस्थापित करना उचित नहीं है। (पैरा-6,8)

बी. पात्रता की तारीख-पात्रता की तारीख को कोई चुनौती नहीं-नियम के विपरीत आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति का मामला नहीं बनाया गया है।(पैरा-7)

सी. दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया-संबंधित उम्मीदवार का विस्थापन उचित नहीं पाया गया-अधिकारियों की ओर से चूक-अपीलार्थी को मुआवजा। (पैरा 9,10)।

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17784

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1706

==========

कुमोद कुमारी उर्फ कुमुद कुमारी, पत्नी-श्री बिनोद कुमार, ग्राम बलाहा, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढी

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

1. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, एकीकृत बाल विकास योजना, कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. कलेक्टर, सीतामढ़ी।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, सीतामढ़ी।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।
7. मुखिया, ग्राम पंचायत राज बिशुनपुर डेमा, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।
8. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत बिशुनपुर डेमा, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।
9. आशा कुमारी पत्नी श्री राजीव रमन सिंह गांव के निवासी-बलाहा, थाना-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी।

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति

अपीलार्थी के लिए : श्री वैदेही रमन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, (जी ए-7)

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तिथिः- 25.01.2024

संदर्भः 2023 का आई. ए. सं. 1

2019 का एल. पी. ए. 1706 दाखिल करने में देरी की क्षमा के लिए 2023 का आई. ए. सं. 1 सुना गया। आवेदन एवं शपथ-पत्र में बताए गए कारणों के हित में, एल.पी.ए. दाखिल करने में लगभग 25 दिनों की वादी देरी को क्षमा कर दिया जाता है।

2. तदनुसार, 2023 की आई. ए. संख्या 1 की अनुमति है।

3. वर्तमान एल. पी. ए. 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 17784 में पारित आदेश तिथि 23.10.2019 को अभ्याक्रमण करने हेतु दाखिल किया जाता है।

4. आंगनवाड़ी सेविका पद हेतु अन्य में से अपीलार्थी और 9वें प्रतिवादी दिनांक 30.03.2007 के विज्ञापन के अनुसार भाग लिया। विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09.04.2007 निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, 19.06.2007 को चयन के लिए आम सभा का गठन किया गया था। अपीलार्थी एवं 9 वें प्रत्यर्थी के तुलनात्मक

योग्यता एवं नियुक्त किया गया एवं 9 वें प्रत्यर्थी के चयन एवं नियुक्ति से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने उसके पास उपलब्ध प्रत्येक उपाय की याचना की। कलेक्टर, सीतामढ़ी आदेश दिनांक 19.03.2019 सहित विभिन्न आदेशों की वैधता पर सवाल उठाने के लिए 2019 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 17784 दाखिल करना नवीनतम उपाय है।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश सहित सभी संबंधित अधिकारियों ने यह सूचित नहीं किया है कि आम सभा का गठन और 9वें प्रतिवादी का चयन और नियुक्ति आँगनबाड़ी पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका के नियम 5(क) के विपरीत है। नियम 5(क) निम्नवत हैः-

5(क) पंचायत स्तरीय चयन समिति- समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन के लिए पंचायत स्तर पर एक चयन समिति होगी जिसका स्वरुप निम्नवत होगाः-

1.	संबंधित पंचायत के मुखिया-	अध्यक्ष
2.	संबंधित पंचायत के उप मुखिया-	उपाध्यक्ष
3.	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी (इनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी)	विशेष आमंत्रित सदस्य
4.	आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य	सदस्य
5.	पंचायत की अनुसूचित जाति/जनजाति की एक महिला सदस्या (पंचायत द्वारा मनोनित)	सदस्य
6.	निकटम प्राथमिक विद्यालय/मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक	सदस्य
7.	पंचायत सेवक	सदस्य सचिव

नोटः- पंचायत समिति स्तर पर उपर्युक्त कंडिका 6 के आलोक में अनुसूचित जाति की दो या दो से अधिक सदस्या उपलब्ध हो तो प्रश्नगत आँगनबाड़ी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाली सदस्या अथवा उम्र में वरीय सदस्या समिति की सदस्या होगी । अनुसूचित जाति की सदस्या उपलब्ध नही होने पर क्रमशः अत्यंत पिछड़ा वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग अथवा समान्य वर्ग की सदस्या समिति की सदस्या होगी।

6. इस तरह के व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था, भले ही यह अनिवार्य हो और इसलिए (उप-मुखिया ने) भी भाग नहीं लिया। दूसरे शब्दों में, 9 वें प्रतिवादी-आशा कुमारी के चयन और नियुक्ति के संदर्भ में नियम 5 (क) के संदर्भ में पूर्ण मंच का पालन नहीं किया गया था। दूसरा आधार यह है कि अपीलार्थी-कुमुद कुमारी ने 31.05.2007 को इंटरमीडिएट पास किया है, और वह 10 और अंकों के पुरस्कार की हकदार है और इसे प्रदान नहीं किया गया है।

7. प्रत्यर्थियों के लिए *प्रति विपरीत* विद्वान वकील ने उपरोक्त तर्क का विरोध किया और समर्पित किया कि अपीलार्थी 31.05.2007 को ऐसी योग्यता के अधिग्रहण के संदर्भ में इंटरमीडिएट के लिए 10 अंकों का हकदार नहीं है। इन कारणों से कि विज्ञापन दिनांकित 30.03.2007 के संदर्भ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09.04.2007 थी। इस बिंदु पर, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि पात्रता मानदंड और अंक प्रदान करने के उद्देश्य से आम सभा की तारीख से एक सप्ताह पहले विचार करने की आवश्यकता है। हालाँकि, अपीलार्थी ने अंतिम तिथि निर्धारित करने या आम सभा की बैठक 19.06.2007 की तारीख के साथ पढ़ने की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है या वैकल्पिक रूप से उसे 09.04.2007 की पात्रता मानदंड को पढ़ने के लिए निर्देश की मांग करनी चाहिए थी और यह आम सभा की बैठक 19.06.2007 की तारीख के संदर्भ में 12.06.2007 होनी

चाहिए थी। पात्रता की तिथि निर्धारित करने के लिए ऐसी चुनौती के अभाव में, अपीलार्थी ने कोई मामला नहीं बनाया है।

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने 5 (क) में उद्धृत (उपर्युक्त) के संदर्भ में जहां तक आम सभा एक मामला बनाया है। साथ ही, प्रत्यर्थी संख्या 9 पिछले लगभग डेढ़ दशक से काम कर रही है और वह आम सभा की तारीख आवेदन के समर्पण के अंतिम तिथि के साथ गठित तिथि के संदर्भ में अपीलार्थी से अधिक योग्य है। यदि अपीलार्थी ने पात्रता मानदंड के उद्देश्य से और उस स्थिति में इंटरमीडिएट के लिए कुछ अंकों के पुरस्कार के लिए अंतिम तिथि की वैधता पर सवाल उठाया होता, तो हम जहां तक विभिन्न मुद्दों पर अंक देने का संबंध है अपीलार्थी और 9वें प्रतिवादी के गुण और अवगुणों की जांच करते। इसलिए, अपीलार्थी ने कोई मामला नहीं बनाया है।

9. अपीलार्थी 2007-2008 से अब तक विभिन्न मंचों के समक्ष है। इसलिए, इन कारणों से मुआवजे का भुगतान करना आवश्यक है कि चयन और नियुक्ति प्राधिकरण जैसे संबंधित अधिकारी नियम 5 (क) का पालन करने में विफल रहे हैं। भले ही यह उपचार योग्य दोष हो, फिर भी अपीलार्थी ने चयनित और नियुक्त उम्मीदवार के साथ तुलनात्मक योग्यता पर मामला नहीं बनाया है।

10. नियम 5 (क) के संदर्भ में आम सभा के संविधान के संबंध में प्रारंभिक चरण में दोष को ध्यान में रखते हुए, आम तौर पर यह मामले की जड़ तक जाएगा और हमें नियम 5 (क) के आलोक में उचित मंच के अभाव में पूरी चयन प्रक्रिया को अलग कर देना चाहिए था। हालाँकि, इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं है कि वह 9वीं प्रत्यर्थी को उसकी ओर से बिना किसी गलती के और जब गलती आधिकारिक प्रत्यर्थी की ओर से हो तो विस्थापित करे। इसलिए, हम मुआवजे की राशि रुपये 1,00,000/-(मात्र रुपये एक लाख)।

एक लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान आधिकारिक उत्तरदाताओं इस द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलार्थी को किया जाएगा।

11. तदनुसार, 2019 की वर्तमान एल. पी. ए. संख्या 1706 का निपटारा कर दिया गया है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ती)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

ज्योति/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।